

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सतवीर बनाम 1. रामसिंह आदि पुत्र रामसिंह निवा. गांव 216

2. गडडी देवी पुत्र रामसिंह

3. लोरी देवी नि. गांव 216

4. सुजन

5. रमेश देवी

6. RMPD आरवा अमीरपुर


दावा बाबत :- 88 RFA Act

मुकदमा नम्बर :- 279/2021

निर्णय दिनांक :- 22-11-2021

वादी की ओर से वकील पुनमन्यु चव्हाण की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3, 4, 5 की ओर से वकील शिविर प्रभारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि राधे भोजा गांव 216 के खाता सं० 208/196 के खसरा सं० 141 की 1.277 ई०, खसरा सं० 261 की 7.828 ई०, खसरा सं० 377 की 0.316 ई०, खसरा सं० 438 की 0.316 ई०, खसरा सं० 457 की 11.294 ई० कुल 21.031 ई० वाराना खातेदार में प्रतिवादी सं० 1 का नाम 10.515 ई० वाराना खातेदार राजस रिलाय में दर्ज है उस वादी सतवीर को 5/6 हिस्सा यानि 8.7625 ई० व प्रतिवादी सं० 1 रामसिंह को 1/6 हिस्सा यानि 1.7525 ई० के खातेदार का धारणा वैधित्व किन्हीं जाते हैं - मुक्ति प्रतिवादी सं० 2 ता 5 ने अपनी सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर चुकी है किन्तु वादी के द्वारा यह हिस्से पर पंजापन विभाग को देम पंजापन मुलक एवं रजामु उभरी अदा करने व यदि कृषि भूमि व अन्य रकबा हो तो रजामुल होने के उपरान्त ही राजस रिलाय में अमल दर्ज कर किन्ता जावे। रजामुल को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी) RFA
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़
कैम्प 216/216